संख्या-146/2026 / 1097 /चार-2026-2025557

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक16 अप्रैल, 2026**

विषय:-''सोमनाथ स्वाभिमान पर्व'' के अन्तर्गत 'यात्रा' के आयोजन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43/सं.नि.-15(132)/2025-26 दिनांक 09 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2026 के क्रम में दिनांक 18 अप्रैल, 2026 से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के आयोजन पर निम्नानुसार अनुमानित व्यय का विवरण उपलब्ध कराते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है:-

क्र.सं.	**वितरण**	**धनराशि (लाख रू0 में)**
1	कलाकारों का मानदेय, किराया व स्थानीय व्यय	17.00
2	आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेन का किराया एवं भोजन की व्यवस्था(14 वातानुकूलित शयनयान एवं 02 एस.एल.आर. कुल 16 कोच)	98.02
3	ट्रेन की ब्रान्डिंग	15.00
4	कलाकारों एवं यात्रियों का आवास, भोजन एवं सूक्ष्म जलपान(1000 व्यक्ति)	27.00
5	फ्लैग ऑफ कार्यक्रम	15.00
6	प्रचार-प्रसार (आमंत्रण, होर्डिंग स्टैण्डी रेडियो आदि)	12.00
7	स्थानीय यातायात	10.50
8	सोमनाथ स्वाभिमान एवं किट (प्रति यात्री 02 टी-शर्ट, 01 कैप)	10.00
9	प्रदर्शनी	08.00
10	अन्य प्रकीर्ण व्यय	08.00
	कुल योग-(रूपया दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र)	**220.52**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 18 अप्रैल, 2026 से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के आयोजन पर उक्तानुसार होने वाले व्यय कुल धनराशि **रू0 220.52 लाख (रू0 दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026,दिनाँक-28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(6) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026,दिनाँक-28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या -146/2026 /1097(1)/चार-2026-2025557 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in